तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
02–1–2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थीगण । श्री वी.एस.राठौड, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–2–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं.1 के पिता बस्ता पुत्र रूपा व पन्ना गोद पुत्र सदा के सहखातेदारी के खेत खसरा नंबर 585 रकबा 95 बीघा 11 बिस्वा व खेत खसरा नंबर 667 रकबा 9 बीघा वाके ग्राम मतोडा में स्थित था। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा अप्रार्थी के पूर्वज बस्ताराम व 1/2 हिस्सा पन्ना गोद पुत्र सदा का था। पन्ना गोद पुत्र सदा ने अकेले ही खसरा नम्बर 585 की सम्पूर्ण 95 बीघा 11 बिस्वा भूमि व खसरा नंबर 667 की सम्पूर्ण 9 बीघा भूमि का बेचान प्रार्थीगण के पक्ष में कर दिया। इस बेचाननामा पर बस्ता पुत्र रूपा के हस्ताक्षर नहीं थे, न ही यह बेचाननामा बस्ता पुत्र रूपा द्वारा किया गया। किंतु सरपंच ग्राम पंचायत मतोडा ने नामांतरकरण सं. 295 स्वीकृत करते हुये तथाकथित बेचाननामे के आधार पर नामांतरकरण प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकृत कर दिया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपील अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिसे अपर जिला कलेक्टर ने खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने द्वितीय अपील न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे अति0 संभागीय आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 5–2–05 द्वारा स्वीकार कर ली। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा अति0 संभागीय आयुक्त ने अपर जिला कलेक्टर द्वितीय व ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण से अप्रार्थीगण व्यथित पक्षकार नहीं कहे जा सकते क्योंकि अप्रार्थी सं.1 का पिता व अप्रार्थी सं.2 का पति बस्ताराम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	द्वारा नामांतरकरण स्वीकृत करने में सहमति दी थी। उन्होंने स्वयं नामांतरकरण निरस्त करवाने की कार्यवाहीं नहीं की। बस्ताराम के देहांत के बाद बस्ताराम जिस भूमि के खातेदार या संयुक्त खातेदार थे जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगण को मिल गई थी एवं नामांतरकरण सं. 528 अप्रार्थीगण के नाम स्वीकृत किया गया था। नामांतरकरण सं. 528 द्वारा विवादित आराजी अप्रार्थीगण को प्राप्त हुई थी। वो इसी हद तक अपना क्लेम कर सकते है। नामांतरकरण सं. 295 ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15–5–72 को स्वीकृत किया गया था। जिसकी अपील 30 साल बाद मियाद बाहर पेश की गई। 30 साल बाद नामांतरकरण को नहीं बदला जा सकता। नामांतरकरण जिस विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया वह भूमि अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय नहीं की गई है। पंजीकृत विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से ही निरस्त करवाया जा सकता है। किंतु अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील अति0 संभागीय आयुक्त ने उक्त समस्त तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को नजरअदांज करते हुये स्वीकार कर अपर जिला कलेक्टर द्वितीय एवं ग्राम पंचायत का आदेश मनमाने तरीके से विधि विरूद्ध गलत तरीके से निरस्त कर दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि विवादित आराजी में अप्रार्थी के पिता का 1/2 हिस्सा था व 1/2 हिस्सा पन्ना का था। ऐसी स्थिति में पन्ना को सम्पूर्ण भूमि का बेचान करने का अधिकार नहीं था। पन्ना मात्र अपने 1/2 हिस्से की आराजी को बेचान कर सकता थां ऐसी स्थिति में 1/2 हिस्से से ज्यादा का किया गया बेचानामा निष्प्रभावी व प्रभावशून्य था तथा उसके आधार पर स्वीकृत नामांतरकरण भी प्रारम्भ से प्रभावहीन था। बस्ताराम व पन्नाराम के बीच में कोई बंटवाडा भी नहीं हुआ था। विवादित आराजी शामलाती थी। शामलाती भूमि में हिस्से से ज्यादा का बेचान नहीं हो सकता। बेचननामे पर बस्ता के कोई हस्ताक्षर नहीं होना स्वीकृत तथ्य है। उक्त समस्त तथ्यों को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने नजरअदांज किया था ऐसी स्थिति में अति0 संभागीय आयुक्त ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर का निर्णय एवं ग्राम पंचायत के आदेश को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी खारिज की जावे।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	5. उभय की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा अपर जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के समक्ष नामांतरकरण सं. 295 दिनांक 15–5–72 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। विवादित नामांतरकरण पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत होना मानते हुये अपील खारिज कर दी गई। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा स्वीकृत किये जाने के विरूद्ध हस्तगत् निगरानी मंडल में पेश की गई है। विवादित नामांतरकरण सं. 295 दिनांक 15–5–72 ग्राम पंचायत मतोडा द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जिसकी अपील 30 साल बाद मियाद बाहर पेश की गई। बेचान अथवा नामांतरकरण को बस्ताराम ने अपने जीवनकाल में कभी चुनौती नहीं दी। ऐसी स्थिति में बस्ताराम की बेचान में सहमति मानी जावेगी। बस्ताराम के वारिसान द्वारा विवादित नामांतरकरण को 30 साल बाद जरिये अपील चुनौती दी गई है। विवादित नामांतरकरण पंजीकृत बेचाननामें के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया गया है। नामांतरकरण की कार्यवाहीं एक फिस्कल व संक्षिप्त कार्यवाहीं है जिसके आधार पर किसी के हक व अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। पंजीकृत बेचाननामे को निरस्त करने की क्षेत्राधिकारिता सिविल न्यायालय को प्राप्त है तथा अप्रार्थीगण द्वारा पंजीकृत बेचाननामें को सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। रजिस्टर्ड सैल डीड के फर्जी या गलत होने के आधार पर नामांतरकरण निरस्त करने की मांग की गई है। रजिस्टर्ड सैल डीड की वैद्यता का निर्णय विभिन्न साक्ष्यों के परीक्षण के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर के निर्णय में ऐसी कोई विधिक एवं तात्विक त्रुटि नहीं थी जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। अति0 संभागीय आयुक्त ने द्वितीय अपील तथाकथित पंजीकृत बेचाननामें को निष्प्रभावी व प्रभावशून्य दस्तावेज मानते हुये स्वीकार की है जबकि पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अति0 संभागीय आयुक्त का निर्णय विधिसम्मत् व समर्थन योग्य नहीं है। 7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–2–05 से अप्रार्थीगण की द्वितीय अपील स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यपरक तात्विक त्रुटि कारित की गई है, जिसका	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः हस्तगत निगरानी स्वीकार की जाकर अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। 8. परिणामतः हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–2–05 निरस्त किया जाता है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर का निर्णय दिनांक 26–3–04 एवं नामांतरकरण सं. 295 दिनांक 15–5–72 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	